



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)



उत्तराखण्ड शासन

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 1123 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, फरवरी, 10, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

युवा कल्याण विभाग जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 257/2018 "बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9962 है0 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।"

संदर्भ:-

आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2318/FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांक 02.03.2020।

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय की पत्र संख्या 3416/12-1 दिनांक 06.02.2021, जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के उक्त पत्र की छाया प्रति मय संलग्नक के संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)  
वन संरक्षक

पत्रांक 1123 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 3416/12-1 दिनांक 06.02.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/L

(जीवन चन्द्र जोशी)  
वन संरक्षक



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तय्यई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीलागवाग वन परिसर, जेठ रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल  
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250198

पत्रांक 3416 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 6/2 / 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- युवा कल्याण विभाग जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या - 257 / 2018 "बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9982 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।" (प्रस्ताव सं0 /FP/UK/OTHERS/21599/2016)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2318/FP/UK/OTHERS/21599/2016 दि0: 02.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी नैनीताल के पत्रांक 785/यु0क0/मा0मु0घो0/बिन्दुखत्ता मि0स्टे0/2020-21 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है।

क्र. सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण/आख्या
1.	वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, स्थिति स्पष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रस्ताव को वर्ष 2016 में तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन अपलोड किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय समिति का प्रपत्र (पृष्ठ सं0-44) संलग्न नहीं किया गया था। आपकी EDS dated 14.10.2016 के बिन्दु सं0 7 में वनाधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण किये जाने हेतु लिखा गया। तदुपरान्त तत्कालीन जिला अधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.06.2019 को होने के पश्चात् उक्त प्रपत्र (पृष्ठ सं0 44) को तैयार कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। अतः उपरोक्त कारण से उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की तिथियों में विभिन्नता है।"
2.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में नहीं किया गया है, व न ही वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में उल्लेखित ग्राम पंचायत का नाम लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख प्रस्ताव के प्रपत्रों में भूलवश नहीं किया गया था। जिसे अब प्रस्ताव के वांछित प्रपत्रों में भूलवश नहीं किया गया था। जिसे अब प्रस्ताव के वांछित प्रपत्रों में दर्शाते हुए पुनः ऑनलाईन Part-1 (L) तथा Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।"



3.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरा वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरा वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है साथ ही ऑनलाईन Part-1, Additional Information details में भी अपलोड कर दी गयी है।"
4.	प्रस्तावित क्षेत्र शिवालय एलिफेन्ट रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है साथ ही ऑनलाईन Part-1, Additional Information details में भी अपलोड कर दिया गया है।"
5.	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रस्ताव का ले-आउट प्लान/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है, साथ ही ऑनलाईन Part-1, Additional Information details में भी अपलोड कर दिया गया है।"
6.	परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम सीमित करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रस्तावित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 454 वृक्ष उपरिष्ठत है जिनमें से 98 वृक्षों को छोड़ते हुए कुल 356 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। परन्तु परियोजना निर्माण के समय प्रस्तावित स्थल में न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रयास किया जायेगा। परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाईन Part-1, Additional Information details में भी अपलोड किये गये हैं।"
7.	प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव की चार प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 785 यु0क0/मा0मु0घो0/बिन्दुखत्ता मि0स्टे0/2020-21 दि0 23.01.2021 एवं प्रस्ताव की 04 प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 3416/11-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल नैनीताल।

पत्रांक 485/2020 / गानुपानु / विन्दुखत्ता गि०स्टे० / 2020-21

दिनांक-23-1- 2021

सेवा मे.

प्रभागीय वनाधिकारी,  
सराई पूरी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय:- युवा कल्याण विभाग जनपद नैनीताल के अर्न्तगत गा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या-257/2018 "विन्दुखत्ता में शाहीद मोहननाथ गोरयागी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9902 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UK/Others/21599/2016)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून वन पत्रांक FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांक-02.03.2020 एवं आपकी E.D.S. दिनांक- 15.01.2021

गहोदय...

उपरोक्त सन्दर्भित जो इस कार्यालय के साथ आपको भी सम्बोधित है कं द्वारा विषयगत प्रकरण में लागई गयी आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण करते हुये पूर्व में इस कार्यालय कं पत्रांक-527 दिनांक 11 नवम्बर 2020 व 693 दिनांक 01.01.2021 कं द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। ऑनलाईन आपकी E.D.S. दिनांक- 15.01.2021 के अनुपालन में पुनः विन्दुवार निराकरण/आख्या निगानुसार प्रेषित है।

क्र.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण /आख्या
1	वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त विन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रस्ताव को वर्ष 2016 में तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन अपलोड किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय समिति का प्रपत्र (पृष्ठ सं० 44) संलग्न नहीं किया गया था। आपकी EDS dated 14.10.2016 के विन्दु सं० 7 में वनाधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण किये जाने हेतु लिखा गया। तदोपरान्त तत्कालीन जिला अधिकारी श्री विनोद कुमार सुगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.6.2019 को होने के पश्चात उक्त प्रपत्र (पृष्ठ सं० 44) को तैयार कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। अतः उपरोक्त कारण से उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की तिथियों में विभिन्नता है।
2	लाभाविन्त होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में नहीं किया गया है, व न ही वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों में उल्लेखित ग्राम पंचायत का नाम लाभाविन्त होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। स्थिती स्पष्ट करें।	उक्त विन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लाभाविन्त होने वाले ग्रामों का उल्लेख प्रस्ताव के प्रपत्रों में भूलवश नहीं किया गया था। जिरा अतः प्रस्ताव के वांछित प्रपत्रों में दर्शाते हुये पुनः ऑनलाईन Part-1 (K) तथा Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार संलग्न करें।	उक्त विन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है साथ ही ऑनलाईन Part-1, Additional information details में भी अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रस्तावित क्षेत्र शिवालय एलिफन्ट रिजर्व क अर्न्तगत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त विन्दु के अनुपालन में मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून वन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है साथ ही ऑनलाईन Part-1, Additional information details में भी अपलोड कर दिया गया है।

कार्यालय नैनीताल  
दिनांक 28/01/2021


D/P  
DFO 28/1/21



5	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान / मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव का ले-आउट प्लान / मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है, साथ ही ऑनलाईन Part-I. Additional information details में भी अपलोड कर दिया गया है।
6	परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम सीमित करें।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 454 वृक्ष उपरिथत है जिनमें से 98 वृक्षों को छोड़ते हुए कुल 356 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। परन्तु परियोजना निर्माण के समय प्रस्तावित रथल में न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रयास किया जायेगा। परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाईन Part-I. Additional information details में भी अपलोड किये गये हैं।
7	प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही उक्त बिन्दु सं0 2,3,4,5,6 में उल्लेखित प्रपत्रों की छायाप्रति दो प्रतियों में तथा प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न- प्रस्ताव 05 प्रतियों में तथा 32 पृष्ठ दो प्रतियों में।

भवदीय  
  
 ( दीपि जाशी )  
 जिला युवा कल्याण एवं  
 प्रा0र0द0 अधिकारी,  
 नैनीताल।

- प्रतिलिपि-
- 1- श्री राजदीप पन्त, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी हल्द्वानी को इस निदेश के साथ कि उक्त पत्र तथा संलग्नक सम्बन्धित कार्यालय में व्यक्तितगत रूप से उपलब्ध करवाते हुये अग्रततर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
  - 2- मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र तालकुंआ की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला युवा कल्याण एवं  
 प्रा0र0द0 अधिकारी,  
 नैनीताल।

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: tnodaloffice@rediffmail.com

Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 2318/FP/UK/OTHERS/21599/2016 : देहरादून दिनांक: 02 मई 2020

सेवा में,

- 1- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल। 2- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल मनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण हेतु 4.9962 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी का पत्रांक-1384/12-1 दिनांक 24-02-2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां पाई गयीं हैं, जिनका दिवरण निम्नानुसार है :-

1. वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण-पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण-पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, रिधति स्पष्ट करें। ! (पृष्ठ सं०-44 व पृष्ठ सं०-46)
2. लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों में नहीं किया गया है व नही वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित ग्राम पंचायत का नाम लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। रिधति स्पष्ट करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना वर्तमान दारों के अनुसार संलग्न करें।
4. प्रस्तावित क्षेत्र शिवालिक ऐलीफेन्ट रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
5. प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम तक सीमित करें।
7. प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करें लेवे एवं पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या- / FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: inodaloffice@ddn@prmail.com

Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 2318/FP/UK/OTHERS/21599/2016 :देहरादून:दिनांक: 02 मई 2020

सेवा में,

- 1- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल। 2- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

विषय- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल मनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण हेतु 4.9962 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ-वन संरक्षक, परिचमी वृत्त, हल्द्वानी का पत्रांक-1384/12-1 दिनांक 24-02-2020,

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां पाई गयी गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण-पत्रों में जिला स्तरीय समिति के दो प्रमाण-पत्र विभिन्न तिथियों के संलग्न किये गये हैं, स्थिति स्पष्ट करें। (पृष्ठ सं०-44 वं पृष्ठ सं०-46)
  2. लाभान्वित होने वाले ग्रामों का उल्लेख वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों में नहीं किया गया है व नहीं वनाधिकार अधिनियम-2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित ग्राम पंचायत का नाम लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सम्मिलित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
  3. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना यर्तमन दारों के अनुसार संलग्न करें।
  4. प्रस्तावित क्षेत्र शिवालिक ऐलीफैन्ट रिजर्व के अन्तर्गत प्रस्तावित है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अन्वपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
  5. प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान/मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
  6. परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, इसे न्यूनतम तक सीमित करें।
  7. प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रेषित किया गया है, प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध करायी जानी है।
- अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त करें लें एवं पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण पर अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या- / FP/UK/OTHERS/21599/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, परिचमी वृत्त, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी